मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन'- एसआईआर के नाम पर लाखों अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता

भारत सरकार और चुनाव आयोग भले ही मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (स्ढ्ढक्र) को एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता कर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन इस प्रक्रिया की गूंज अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। इसकी आंच अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के 3 स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने 1 मई 2026 को भारत सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखकर स्ढ्ढक्र प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है और 60 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है।

विशेषज्ञों की यह रिपोर्ट भारत सरकार के दावों की पोल खोलती है। यह साफ संकेत है कि दुनिया स्ढ्ढक्र प्रक्रिया को सिर्फ 'शुद्धिकरण' नहीं, बल्कि *संभावित भेदभावपूर्ण अभियान* के रूप में देख रही है। ह्व ने सरकार से कहा है कि वह *तुरंत अंतरिम कदम उठाए* ताकि किसी पात्र मतदाता को 2026 के विधानसभा चुनावों में मतदान से बाहर न रखा जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को तुरंत पारदर्शिता बरतनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित न किया जाए। मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' स्ढ्ढक्र के नाम पर हुए पक्षपात पर ह्व विशेषज्ञों के मुख्य आरोप इस प्रकार हैं।विशेषज्ञों के अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में *लगभग 5.18 करोड़ से अधिक नाम* मतदाता सूची से हटाए गए हैं। अकेले *पश्चिम बंगाल में 89 लाख* और *उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़* नाम हटने की बात सामने आई है।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस कदम से अल्पसंख्यक टारगेटिंग का खतरा बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री सहित सरकारी अधिकारियों द्वारा इसे 'गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों' को टारगेट करने वाला अभियान बताया गया। ह्व ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी नागरिकों के साथ मिला दिया गया है। इसे 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' की नीति कहा गया। रिपोर्ट में ढ्ढ और अपारदर्शिता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है। कहा गया कि मतदाता सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अपारदर्शी ढ्ढ-संचालित मॉडल के कारण अल्पसंख्यकों के नाम बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के नाम पर दादा के नाम की स्पेलिंग अलग होने पर पूरे परिवार को फ्लैग किया गया। निर्वाचन आयोग का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ह्व ने कहा कि यह प्रक्रिया *ढ्ढष्टष्टक्क्र के अनुच्छेद 25 वोट के अधिकार, और अनुच्छेद 27 अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। साथ ही यह ढ्ढष्टश्वक्त्रष्ठ के तहत भारत की जिम्मेदारियों के खिलाफ भी जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह भेदभाव का बोझ बढ़ा है। कम समय सीमा, दस्तावेजों की जटिलता और आर्थिक-भाषाई रूप से पिछड़े समुदायों के लिए दावा-आपत्ति की प्रक्रिया में रुकावटें, वोट के अधिकार पर 'बेवजह की रोक' लगा सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आंकड़े कितने भयावह हैं।

यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5.18 करोड़ से 6.08 करोड़ नाम हटाए गए हैं। ये उन क्षेत्रों के कुल मतदाताओं का 10.2% है। स्ढ्ढक्र की शुरुआत बिहार राज्य से हुई है। बिहार में 24 जून 2025 को पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया । शुरुआती चरण में ही 65 लाख नाम हटाए गए। विपक्ष और 23 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट को संयुक्त पत्र लिखकर स्ढ्ढक्र को 'लोकतंत्र पर हमला' बताया था। बिहार के बाद मध्य प्रदेश में यह कुचक्र चला। मध्य प्रदेश भी उन 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में है जहां स्ढ्ढक्र प्रक्रिया अभी चल रही है। गुजरात में 68 लाख नाम हटे, जो स्ढ्ढक्र से सटा है और यहां भी समान पैटर्न की आशंका है।ढ्ढ आधारित 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' से आदिवासी और मुस्लिम बहुल इलाकों में नाम काटे जाने की शिकायतें आई है। स्ढ्ढक्र प्रक्रिया से प्रभावित अन्य बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2.05 करोड़ से 2.89 करोड़ नाम हटे तथा 13.21% कमी आई। पश्चिम बंगाल में 83.86 लाख से 89 लाख नाम हटे जिसके कारण 10.9%* कमी आई।पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अकेले 4.5 लाख नोटिस दिए गए हैं ।तमिलनाडु में 74 लाख नाम हटे जिसके आधार पर 11.5% कमी आई। संयुक्त राष्ट्र ह्व की 5 सबसे बड़ी चिंताएं जो सामने आई हैं।उनमें भेदभावपूर्ण बयानबाजी , 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' की नीति से भारतीय मुस्लिमों को 'घुसपैठिया' बताया गया। ह्व ने इसे ढ्ढष्टष्टक्क्र ह्ल्ल 20(2) के तहत धार्मिक नफरत फैलाना बताया।ढ्ढ का काला बॉक्स भी इसका ज़िम्मेदार है। 'दादा के नाम की स्पेलिंग अलग' या 'मां-बेटे की उम्र का अंतर' जैसी छोटी गलती पर पूरा परिवार काट दिया गया। पारदर्शिता शून्य नजर आई है। अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारों पर चोट की गई है।ढ्ढष्टष्टक्क्र ह्ल्ल 25 वोट का अधिकार और ह्ल्ल 27 अल्पसंख्यक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ढ्ढष्टश्वक्त्रष्ठ के तहत भारत की जिम्मेदारी का उल्लंघन किया गया है।मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' - स्ढ्ढक्र में 30-45 दिन की समय सीमा में गरीब, प्रवासी मजदूर और कम पढ़े-लिखे लोग पुराने 2001के दस्तावेज कैसे जुटाएंगे इस पर भी चिंता जताई गई है।चुनाव आयोग ने 2001के दस्तावेज के आधार पर देश के लाखों लोगों को सूची से हटाया है। निर्वाचन आयोग के इस आत्मघाती कदम पर चिंता जताते हुए ह्व ने देश भर में सूची में से हटाए गए लोगों का धर्म और जाति आधारित डेटा मांगा है। ह्व विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट से बचाओ में सरकार और कोर्ट ने अपना अपना जवाब रखा ।भारत निर्वाचन आयोग ने जहां कहा कि कोई पात्र नहीं छूटेगा। दावा-आपत्ति के लिए फॉर्म 6,7,8 के माध्यम से रास्ते खुले हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि स्ढ्ढक्र 'कानूनी रूप से मान्य है लेकिन साथ में यह भी कहा कि 'नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती '। इस रिपोर्ट के प्रकाश में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हाई-लेवल पैनल बनाया जो स्ढ्ढक्र के बहिष्कार का अध्ययन कर रहा है। बिहार से शुरू होकर स्ढ्ढक्र तक पहुंचा ये अभियान अब *राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा* बन चुका है। ह्व की चेतावनी साफ है - *2026 के चुनाव से पहले* यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता, खासकर अल्पसंख्यक, मतदान से वंचित न रहे। भारत की लोकतांत्रिक साख दांव पर है। चुनाव आयोग को पारदर्शिता और जवाबदेही दिखानी होगी। ने सरकार से कहा है कि वह *तुरंत अंतरिम कदम उठाए* ताकि किसी पात्र मतदाता को 2026 के विधानसभा चुनावों में मतदान से बाहर न रखा जाए। ह्व के विशेषज्ञों ने भारत सरकार से 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। सबसे अहम हटाए गए लोगों का जाति और धर्म के आधार पर अलग-अलग डेटा मांगा है साथ ही अगर डेटा उपलब्ध नहीं है तो इसका कारण बताने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के आरोपों पर भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। इन आरोपों पर अपना बचाओ करते हुए चुनाव आयोग का कहना है कि स्ढ्ढक्र का उद्देश्य 'कोई पात्र न छूटे, कोई अयोग्य न जुड़े' है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ढ्ढक्र को 'कानूनी रूप से मान्य' ठहराया है और कहा है कि नाम हटने का मतलब नागरिकता समाप्त नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक प्रशासनिक प्रक्रिया के नाम पर लोकतंत्र की नींव - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार - से खिलवाड़ किया जा सकता है?

- लेखकः डॉ. सैयद खालिद कैस, एडवोकेट
समीक्षक, आलोचक, पत्रकार

बदलते मौसम एवं बरसात में रखें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान- डॉ. धार्वे

बाकानेर (सैयद अखलाक अली)। बरसात का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं कई संक्रामक एवं मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। इस मौसम में थोड़ी-सी लापरवाही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, दस्त, टाइफाइड, हैजा तथा फंगल संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। डॉ. वीर धार्वे, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ष्ट॥ष्ट) बाकानेर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है।

स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं- सुरक्षित पानी ही पिएं - हमेशा उबला हुआ, फ़िल्टर किया हुआ या क्लोरीनयुक्त पानी ही पिएं। पीने के पानी के बर्तनों को ढककर रखें तथा फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी पीने से बचें।

स्वच्छ एवं ताजा भोजन करें - बासी, खुले में रखा या सड़क किनारे मिलने वाला भोजन न खाएं। भोजन को हमेशा ढककर रखें तथा अधिक तला-भुना और मिर्च-मसालेदार भोजन सीमित मात्रा में लें।

व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें - खाने से पहले, शौच के बाद तथा बच्चों को भोजन कराने से पहले साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ अवश्य धोएं। मच्छरों से बचाव करें, घर एवं आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, टायर, छत और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। पूरी बांह के कपड़े पहनें तथा मच्छरदानी या मच्छररोधी क्रीम का उपयोग करें।बारिश में भीगने से बचें - यदि भीग जाएं तो तुरंत सूखे कपड़े पहनें और पैरों को अच्छी तरह सुखाएं, जिससे फंगल संक्रमण और सर्दी-जुकाम से बचा जा सके।

वायरल संक्रमण में सावधानी रखें - अधिकांश वायरल संक्रमण 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाते हैं। पर्याप्त आराम करें, गुनगुना या उबला पानी पिएं, अदरक वाली चाय या काढ़ा ले सकते हैं। बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन न करें, क्योंकि वायरल संक्रमण में इनका लाभ नहीं होता।बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें - इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए इन्हें संक्रमण से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें- तेज बुखार, लगातार या बार-बार दस्त एवं उल्टी, अत्यधिक कमजोरी या चक्कर आना, शरीर में तेज दर्द, खून वाली दस्त, सांस लेने में तकलीफ। तेज खांसी या लगातार बुखार, ऐसे किसी भी लक्षण पर स्वयं दवा न लें। तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय परामर्श लें। जनहित में संदेश देते हुए कहा कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। स्वच्छता अपनाएं, पानी को स्वच्छ रखें, मच्छरों से बचाव करें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर उपचार लें। आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है।

आपकी पाती

सर्विस की होड़ मे फर्जी अंकसूची का खेल

वर्तमान दौर मे हर एक व्यक्ति रोजगार, सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरी की तलाश मे है, और इसी होड़ मे अपराध बोध कों पनाह देकर भविष्य और सरकारी नौकरियों कों दाव पर लगा रहे ! विगत दिनों राजगढ़ मे शिक्षा विभाग मे 9 मे से 8 शिक्षकों ने फर्जी अंकसूची लगाकर शिक्षक पद की गरिमा धूमिल की और नौकरियों कों संकट मे डाल दिया! इस परिस्थिति से सरकारी स्कूलो का शिक्षा और अध्यापन का स्तर समझ सकते है ! शिक्षकों ने डी एड की मार्कशीट के सहारे नौकरी कर सालो वेतन लिया ! स्कूलो मे मुन्ना भाई अगर होंगे तो सिस्टम पर तो प्रश्न चिन्ह ही लगेगा !और समझ से परे लगता है की नियुक्ति से पूर्व केसे दस्तावेज की जाँच पड़ताल होती है ? उन जिम्मेदार लोगों कों भी घेरना चाहिए जिन्होने दस्तावेज सत्यापित किए ! शिक्षा के अलावा भी दूसरे विभागों मे कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा के समाचार सुर्खियों मे रहते है! क्यों नहीँ ऐसा मापदंड अपनाया जाता, की दस्तावेज या अंकसूची असली है या नकली ? कुछ भी अंकसूची फर्जीवाड़ा रोकने हेतु कारगर कदमो की जरूरत है , सिस्टम मे दोषियों कों सख्त सजा और सेवा मुक्त करे , और असली और नकली की पहचान के लिए शोध भरे उत्कृष्ट मापदंड अपनाएं , ताकि इस तरह अंकसूची फर्जीवाड़ा ही न हो ! समय रहते शिक्षकों के दस्तावेज अंकसूची और प्रपत्र नियुक्ति के बाद पुनः एक बार और सत्यापित करवाये, ताकि पारदर्शिता की तस्वीर सामने आ सके! क्या फर्जी अंकसूची के खेल मे सखूती अपनाई जाएगी ?

- योगेश जोशी, बड़वाह

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु पंजीयन प्रारंभ

बुरहानपुर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं की रचनात्मक एवं सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला,राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें स्वस्थ, जिम्मेदार एवं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। अभियान अंतर्गत तीन चरणों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रथम चरण जिला स्तरए द्वितीय चरण राज्य स्तर तथा अंतिम चरण राष्ट्रीय स्तर होगा। जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर तथा राज्य स्तर के विजेता राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

इसी कड़ी में जिले में अभियान के सफल क्रियान्वयन के तहत कलेक्टर श्री हर्ष सिंह की अध्यक्षता में माय भारत सलाहकार समिति की बैठक आयोजित रही। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अधिक से अधिक युवाओं को जागरूकता गतिविधियों से जोडने् के निर्देश दिये वहीं स्कूलों.कॉलेजों में अभियान की जानकारी देने तथा सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु व्यापक प्रचार.प्रसार करने की बात कही। प्रतियोगिताओं के लिए ऑनलाइन पंजीयन 13 से 17 जुलाईए 2026 तक पर किया जाएगा। केवल पर पंजीकृत प्रतिभागी ही प्रतियोगिताओं में आवेदन एवं सहभागिता के पात्र होंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 22 जुलाई से 27 जुलाईए 2026 के मध्य किया जाएगा। अभियान के अंतर्गतए थीमैटिक डांसए नुक्कड़ नाटकए स्लैम पोएट्री ;टवपबमे वित बेंदहमद्धए म्यूजिक प्रतियोगिताए रील मेकिंग एवं शॉर्ट फिल्मए जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं को अपनी कलाए संस्कृतिए संगीतए साहित्य एवं डिजिटल माध्यमों के जरिए नशा मुक्त भारत का संदेश जन.जन तक पहुँचाने का अवसर प्रदान करना है। प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त अभियान के दौरान नशा मुक्त भारत शपथ, माय भारत पोर्टल पर ऑनलाइन क्विज़, युवा क्लब गठन, नशा मुक्त मित्र, साइकिल रैली,रन/वॉक, खेल गतिविधियाँ, सिग्नेचर वॉल,ग्राम स्तर पर नशा मुक्त संकल्प सभाएँ, विशेषज्ञों के व्याख्यान एवं परामर्श सत्र, सोशल मीडिया जागरूकता अभियान तथा अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने जिले के सभी युवाओं, विद्यार्थियों,महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों,युवा मंडलों एवं स्वयंसेवी संगठनों से अधिकाधिक संख्या में सहभागिता करने का आह्वान किया है। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित अवधि में पर पंजीयन कर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिलाए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं।

नशे से दूरी है ज़रूरी-2.0 अभियान का होगा सफल संचालन

शाजापुर, निप्र। पीएचक्यू की नारकोटिक्स शाखा के निर्देशानुसार जिले में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध नशे के विरुद्ध जनजागरूकता बढ़ाने तथा प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से एसपी प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर 15 जुलाई से 30 जुलाई तक 'नशे से दूरी है ज़रूरी-2.0' अभियान संचालित किया जाएगा। घनश्याम मालवीय एएसपी ने बताया कि इस अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं रूपरेखा निर्धारण के लिए जिला स्तर पर एएसपी घनश्याम मालवीय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। अभियान के दौरान आयोजित किए जाने वाले जनजागरूकता कार्यक्रमों, विभिन्न विभागों के समन्वय तथा कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आरआई श्रीमती वंदना सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बघेला, यातायात थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला, रक्षित निरीक्षकगण सर्वश्री रवि वर्मा, सीमा मौर्य, सूबेदार दीपिका डाबर, नेहा पवार, सोशल मीडिया प्रभारी विकाश तिवारी सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

चार पुलिस अधिकारियों की वर्दी में एक और स्टार, एसपी ने लगाए

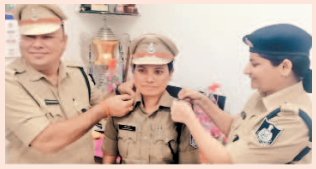

शाजापुर, निप्र। पुलिस मुख्यालय द्वारा सूबेदार से रक्षित निरीक्षक पदोन्नति के आदेश जारी किये गये है। म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में निहित प्रावधान अनुसार पुलिस मुख्यालय ने सूबेदार से रक्षित निरीक्षक के पद पर रिक्त पदों पर आगामी आदेश तक जिले में पदस्थ चार सुबेदारो सीमा मोर्या, सौरभ चौहान , सोनू वर्मा व रवि वर्मा को रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला व एएसपी घनश्याम मालवीय ने सुबेदार सीमा मोर्या, सौरभ चौहान, सोनू वर्मा व रवि वर्मा को वर्दी पर एक स्टॉर और लगा कर शुभकामनाएं दी।इस पदोन्नति के साथ ही इन अधिकारियों की वर्दी में एक और स्टार जुड़ गया है। इस दौरान एएसपी घनश्याम मालवीय, आरआई वंदना सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला, लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुनसिंह मुजाल्दे, यातायात थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला, महिला थाना प्रभारी आशा सोंलकी सहित अधिकारीगण मौजूद थे।

रेलवे कर्मचारियों में विवाद, दो व्यक्ति घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी

शाजापुर, निप्र। नगर में रेलवे कॉलोनी में दो अलग-अलग समुदाय के युवकों के बीच विवाद हो गया। जिसके चलते दो युवक घायल हो गये। एक व्यक्ति पर चाकू लगा जिसके चलते वह घायल हो गया। वही दूसरे युवक को भी चोट लगी है। दोनों रेलवे में कर्मचारी हैं। संतोष वाघेला कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुँची और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल जिला अस्पताल में मौजूद रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। दूसरी ओर दोनों घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आदिवासी समाज के धरने में हुई शामिल,एसपी-कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पीडित परिवार को 1 लाख की सहायता, बच्चों को नौकरी व सरकारी मदद की मांग

बेटी को न्याय दिलाने कांग्रेस का बड़ा अभियान , जांच समिति पीड़ित परिवार से मिली

आलीराजपुर (सुजीत सिंह कुशवाह)। उदयगढ़ विकासखंड के बोरी क्षेत्र में आदिवासी विधवा महिला के साथ हुई जघन्य घटना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित पांच सदस्यीय जांच समिति ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। समिति ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की तथा इसके बाद बोरी थाना पहुंचकर ग्रामीणों के साथ धरने में शामिल हुई। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से अलग-अलग मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, पीड़ित परिवार के पुनर्वास और क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, विधायक एवं आदिवासी कांग्रेस विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, विधायक झूमा सोलंकी तथा जोबट विधायक सेना महेश पटेल शामिल रहे। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल भी मौजूद रहे।

पीड़ित परिवार को ?1 लाख की आर्थिक सहायता- प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. विक्रांत भूरिया, जोबट विधायक सेना महेश पटेल एवं आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल की ओर से पीड़ित परिवार को ?1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। नेताओं ने कहा कि यह सहायता केवल प्रारंभिक सहयोग है, जबकि पीड़ित परिवार को न्याय, सम्मान और सुरक्षित भविष्य दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बोरी थाने पर ग्रामीणों के साथ धरने में बैठे- पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जांच समिति बोरी थाना पहुंची, जहां बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों और आदिवासी समाज के लोगों के साथ धरने में शामिल हुई। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों से चर्चा कर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे चोरी, लूट, डकैती, महिलाओं के साथ अपराध, दुष्कर्म और असामाजिक गतिविधियों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

एसपी और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन- धरना स्थल से प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से विस्तृत चर्चा की और पीड़ित परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता, बच्चों को सरकारी नौकरी अथवा स्थायी रोजगार तथा परिवार के समुचित पुनर्वास की मांग की। ज्ञापन में बोरी थाना प्रभारी को हटाने, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त पुलिस अभियान चलाने, रात्रि गश्त बढ़ाने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस टीम गठित करने तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई।

सरकार तब जागी जब कांग्रेस सड़क पर उतरी- प्रेस से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बाद तक प्रदेश सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगातार मुद्दा उठाने, डॉ. विक्रांत भूरिया, सेना महेश पटेल और महेश पटेल द्वारा आवाज बुलंद करने के बाद ही सरकार सक्रिय दिखाई दी।

मंत्री और सांसद पर साधा निशाना- कांग्रेस नेताओं ने मंत्री नागर सिंह चौहान और सांसद अनीता नागर सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वे समय रहते पीड़ित परिवार तक पहुंचकर प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाते, तो जनता में इतना आक्रोश नहीं होता। डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं, लेकिन प्रदेश में महिलाओं, आदिवासियों और आम नागरिकों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि बोरी क्षेत्र लंबे समय से अपराधों की चपेट में है। लगातार चोरी, लूट, महिलाओं के साथ अपराध और असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि पीड़ित परिवार को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि तत्काल न्याय, आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक पुनर्वास मिलना चाहिए। विधायक झूमा सोलंकी ने कहा कि आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता तथा दोषियों को शीघ्र कठोर सजा मिलनी चाहिए। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मंत्री और सांसद पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता के कारण क्षेत्र के लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है।

कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस जांच समिति ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय नहीं मिला, दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई और बोरी क्षेत्र की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज करेगी। नेताओं ने कहा कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और प्रदेश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है, जिसके लिए कांग्रेस अंतिम समय तक संघर्ष करती रहेगी।